पत्र संख्या..1011../परि0.

File no–01–19 (17-18), E.Off.-183176/22

बिहार पुलिस मुख्यालय

(मुख्यालय एवं बजट प्रभाग)

पटना, दिनांक :– 28.09.22

सेवा मे,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– **पुलिस परिवहन मुख्यालय, बिहार, पटना के बेकाम टायर्स–ट्यूब स्कैप, 210 लीटर खाली ड्रम एवं अन्य समानों के सार्वजनिक निलामी द्वारा बिकी की सूचना को प्रचारित/प्रसारित करने के सम्बन्ध में ।**

———0———

निर्देशानुसार उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य पुलिस परिवहन मुख्यालय, बिहार, पटना के बेकाम टायर्स–ट्यूब स्कैप, 210 लीटर खाली ड्रम एवं अन्य समानों की सार्वजनिक निलामी की तिथि दिनांक–07.10.22 को 11.00 बजे में पुलिस परिवहन मुख्यालय, नवीन पुलिस केन्द्र, परिसर, लोदीपुर, पटना में निर्धारित की गई है । तद्नुसार सार्वजनिक निलामी से संबंधित विज्ञापन सूचनां C D सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है ।

अतः अनुरोध है कि संलग्न सार्वजनिक निलामी की सूचना का प्रकाशन सरकारी नियमानुसार दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराकर इसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोपरि।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (क्यू0),
बिहार, पटना

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ । संलग्न निविदा को बेवसाईट पर अपलोड किया जाये एवं सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को इस प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाय । विज्ञापन सूचना सी0डी0 सहित संलग्न हैं ।
अनुलग्नकः– यथोपरि ।

28/9/22

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (क्यू0),
बिहार, पटना

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना

सार्वजनिक निलामी सूचना

राज्य पुलिस परिवहन मुख्यालय, बिहार, पटना के वाहनों से निकले बेकाम टायर–ट्यूब, स्क्रैप पार्ट्स, 210 लीटर का खाली ड्रम एवं अन्य समानों की निलामी दिनांक 07.10.22 को 11.00 बजे पूर्वाहन/~~अपराह्न~~ में पुलिस परिवहन मुख्यालय, पटना, नवीन पुलिस केन्द्र, लोदीपुर, पटना में की जायेगी । निलामी डाक आरम्भ होने के पूर्व में भाग लेने वाले इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को रूपये– 10,000/– (दस हजार रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण) बिहार, पटना (A.I.G (W), Bihar Patna) के नाम से जमा करना होगा । किसी भी प्रकार का गिल्ड/गिरोह का समूह बनाकर भाग लेने वाले के विरूद्व कानूनी कार्रवाई की जायेगी । पुलिस विभाग का कोई कर्मी या उसका परिवार इस निलामी में भाग नहीं लेगा । निलामी समाप्त होने के बाद असफल डाक बोलने वाले वीडरों को ड्राफ्ट तुरंत वापस कर दिया जायेगा । उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को निलामी के पश्चात् उसी समय उक्त समान के मूल्य की आधी राशि जमा करने होगें । शेष राशि एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा अन्यथा जमा राशि जप्त करते हुए निलामी की कार्रवाई रद्द कर दी जायेगी । निर्धारित अवधि के भीतर शेष राशि जमा कर समान की डिलेवरी नहीं लेते है, तो उनके द्वारा जमा की गई पूरी राशि जप्त कर ली जायेगी ।

अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित है कि सरकारी हित में किसी भी डाक को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं । अघोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए निलामी की कार्रवाई संशोधित, स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित हैं

28/8/22

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (क्यू0),
बिहार, पटना ।